संख्या-55/2024/537/2024/12-2099/90/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांकः 24 मई, 2024

विषयः-**खरीफ अभियान, 2024 की फसल उत्पादन की रणनीति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश में खरीफ एक महत्वपूर्ण फसल मौसम है। खरीफ-2023 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 100.37 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 231.37 लाख मी0टन का उत्पादन हुआ। आगामी खरीफ-2024 में कुल1.67 लाख हे0 के क्षेत्र आच्छादन तथा 13.20लाख मी0टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत् लक्षित हैः-

क्र0 सं0	फसल	क्षेत्रफल में वृद्धि (लाख हे0)	उत्पादन में वृद्धि (लाख मी0टन)
1	धान(चावल)	0.63(-)	3.73
2	बाजरा	0.51	2.85
3	ज्वार	0.09	0.23
4	अन्य श्री अन्न	0.15	0.15
5	मक्का	0.42	3.85
6	दलहन	0.72	1.91
7	तिलहन	0.36	0.46
	कुल	**1.67**	**13.20**

2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर वर्ष2023-24 में खरीफ फसलों के उत्पादन की स्थिति व प्रदेश का वर्ष 2024-25 का उत्पादन लक्ष्य निम्नवत् हैः-

राष्ट्रीय स्तर पर			**प्रदेश स्तर पर**		
फसल	**क्षेत्रफल (लाख हे0)**	**उत्पादन (2023-24) (लाखमी0 टन)**	**क्षेत्रफल (लाख हे0) (2023-24)**	**उत्पादन (2023-24) (लाख मी0टन)**	**उत्पादन-लक्ष्य (2024-25) (लाख मी0टन)**
धान(चावल)	413.15	1114.58	61.87	174.18	177.91
बाजरा	70.08	95.31	10.10	21.95	24.80
ज्वार	12.96	15.46	2.89	4.63	4.86
अन्य श्री अन्न	4.96	4.29	0.48	0.41	0.57

मक्का	82.06	227.20	8.39	18.32	22.16
दलहन	113.37	71.18	11.04	8.87	10.77
कुल खाद्यान	706.95	1541.87	94.77	228.36	241.08
तिलहन	192.85	228.42	5.56	2.99	3.45

3. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर वर्ष-2023 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं खरीफ-2024 में अनुमानित आवश्यकता निम्नवत् है:-

उर्वरक	**खरीफ-23 में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय (लाख मी0टन)**	**खरीफ-24 मे राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख मी0टन)**	**खरीफ-23 में प्रदेश स्तर पर विक्रय (लाख0मी0टन)**	**खरीफ-24 में प्रदेश स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख0मी0टन)**	**वृद्धि का प्रतिशत**
यूरिया	183.95	177.12	37.49	35.13	-6.30
डी0ए0पी0	63.92	59.87	9.05	7.17	-20.77
एम0ओ0पी0	7.74	10.26	0.37	0.47	27.03
एन0पी0के0	64.23	74.19	2.20	4.13	87.72
एस0एस0पी0	29.00	36.12	2.53	3.50	38.34
योग	**348.84**	**357.56**	**51.64**	**50.40**	**-2.40**

4. दलहनी फसलों के राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन व आयात की वर्तमान स्थिति व प्रोजेक्शन निम्नवत् है:-

दलहनी फसलें

(मिलियन टन)

वर्ष	**2022-23**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
मांग	29.47	31.83	32.64	35.23
उत्पादन	27.81	29.79	30.75	33.95
आयात की आवश्यकता	1.66	2.04	1.89	1.28

5. दलहनी फसलों का राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष-2023-24 तक क्षेत्राच्छादन उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है:-

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)**
क्षेत्र अच्छादन(मि0 हे0)	27.99	28.78	30.37	28.90	25.78
उत्पादन (मि0टन)	23.03	25.46	26.96	26.06	23.44
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	823	885	888	902	909

6. दलहनी फसलों का प्रदेश स्तर पर वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष-2023-24 तक क्षेत्राच्छादन व उत्पादन की स्थिति निम्नवत् रही है:-

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2023-24**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)**
क्षेत्र अच्छादन(लाख हे0)	22.91	23.70	23.80	26.93	27.56	29.45
उत्पादन (लाख टन)	24.08	24.47	25.34	29.20	29.79	32.53
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	1051	1032	1064	1084	1081	1105

7. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)**
क्षेत्राच्छादन (मि0 हे0)	24.79	27.13	28.83	28.95	30.24	28.54
उत्पादन (मि0 टन)	31.52	33.21	35.95	37.96	41.35	36.60
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	1271	1224	1247	1312	1368	1282

8. प्रदेश स्तर पर तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)**
क्षेत्राच्छादन (लाख हे0)	12.06	11.97	14.22	18.06	19.13
उत्पादन (लाख टन)	13.05	17.95	19.97	26.86	28.16
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	891	1065	1037	1194	1195

प्रदेश स्तर पर खरीफ दलहनी एवं तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन की स्थिति निम्नवत् है:-

क्षेत्राच्छादन (लाख हे0)

फसल	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दलहन	8.53	8.43	9.44	9.50	11.04
तिलहन	4.72	4.66	4.73	4.80	5.56

उत्पादन (लाख मी0टन)

फसल	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दलहन	5.06	6.52	7.18	7.24	8.87
तिलहन	1.65	2.48	2.02	2.11	2.99

9. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ-2024 के लिए फसल उत्पादन रणनीति के मुख्य पहलू निम्नवत् है:-

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर अप्रोच।
- फसल प्रणाली केंद्रित हस्तक्षेप-दलहन, तिलहन एवं न्यूट्रीशियन को केन्द्र में रखते हुए।
- फसल सघनता में बढ़ोत्तरी।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं किस्म प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।
- उन्नत प्रोद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण।

10. विगत 05 वर्षों में प्रदेश में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि निम्नवत् रही:-

क्षेत्रफल- लाख हे0 में
उत्पादन लाख मै0 टन में

		खाद्यान्न				तिलहन			
क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	प्राप्ति	उत्पादन का लक्ष्य	प्राप्ति	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	प्राप्ति	उत्पादन का लक्ष्य	प्राप्ति
1.	2019	90.61	85.10	211.75	212.67	5.28	4.72	2.66	1.65
2.	2020	90.63	85.86	232.24	218.29	5.29	4.66	2.91	2.48
3.	2021	90.52	90.70	235.67	212.66	5.51	4.73	3.16	2.02
4.	2022	90.15	90.83	236.53	213.25	5.88	4.80	3.64	2.11
5.	2023	91.70	94.77	239.39	228.36	6.00	5.56	3.73	2.99

11. उत्तर प्रदेश में विगत 05 वर्षो में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहनी फसलों का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.		वर्ष					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023-24
1.	खाद्यान्न उत्पादन	198.75	212.67	218.29	212.66	213.25	228.36
2.	तिलहन उत्पादन	1.94	1.65	2.48	2.02	2.11	2.99
योग		199.97	214.32	220.77	214.68	215.36	231.35

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन में पिछले 5 वर्षो में आशा के अनुरूप बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

12. प्रदेश में खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त क्रम में स्थिति निम्नवत है:-

(उत्पादकता कुन्तल प्रति हे0)

क्र.स.	फसल	प्रदेश में उत्पादकता (2023)	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 2023 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)	अधिकतम उत्पादकता
1	धान(चावल)	28.15	26.98	45.15 (पंजाब)
2	बाजरा	21.73	13.60	23.72 (तमिलनाडु)
3	मक्का	21.82	27.69	79.31(तमिलनाडु)
4	उर्द	6.22	05.92	09.60(आंध्र प्रदेश)
5	तिल	2.97	04.03	08.77(बिहार)
6	मूंगफली	11.72	19.27	26.00 (तेलंगाना)

13. खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। फसलवार यह स्थिति वर्ष 2023-24 की निम्नवत है:-

फसल	अधिकतम उत्पादकता वाले जनपद	उत्पादकता (कु/हे.)	क्षेत्राच्छादन (लाख हे.)	न्यूनतम उत्पादकता वाले जनपद	उत्पादकता (कु/हे.)	क्षेत्राच्छादन (लाख हे.)
धान(चावल)	चन्दौली	36.31	1.14798	मऊ	20.59	0.88527
मक्का	मैनपुरी	37.93	0.47691	वाराणसी	5.66	0.03661
उर्द	बरेली	17.85	0.21384	महोबा	1.82	0.54678
तिल	पीलीभीत	14.09	0.002344	उन्नाव	0.98	0.16438
मूंगफली	फिरोजाबाद/ मैनपुरी	20.28	0.00230/0.01719	सोनभद्र	3.97	0.05645

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधिकतम उत्पादकता वाले जनपदों के प्रगतिशील कृषकों के यहाँ अन्य जनपदों के कृषकों व वैज्ञानिकों/अधिकारियों को फील्ड विजिट /प्रशिक्षण पर भेजा जाए।

14. कृषकों की आय बढ़ाने के सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है। खरीफ- 2024 में मानसून के सामान्य रहने की सम्भावना है, जिसकेदृष्टिगत खरीफ फसलों की रोपाई व बुआई समय से किया जाना आवश्यक है। खरीफ, 2024 के लिए निर्धारित कुल खाद्यान्न उत्पादन के 241.08 लाख मी.टन एवं तिलहन उत्पादन के 3.45 लाख मी.टन (कुल उत्पादन 244.57 लाख मी.टन) के लक्ष्य का फसलवार विवरण निम्नवत है:-

क्षेत्रफल-लाख हे0 में

उत्पादन लाख मी0 टन में

क्रम सं.	**खाद्यान्न**	**आच्छादन का लक्ष्य**	**उत्पादन का लक्ष्य**
1	धान (चावल)	61.24	177.91
2	मक्का	8.81	22.16
3	बाजरा	10.61	24.80
4	ज्वार	02.99	4.86
5	अन्य श्री अन्न	0.63	0.57
6	उर्द	7.57	5.09
7	मूंग	0.50	0.28
8	अरहर	3.68	5.40
	खाद्यान्न	**96.03**	**241.08**
9	तिल	4.25	1.42
10	मूंगफली	1.32	1.55
11	सोयाबीन	0.35	0.48
	तिलहन	**05.92**	**3.45**
12	कपास	**0.10**	**0.04**
	कुल	102.05	244.57

15. खरीफ, 2024 के लिए निर्धारित उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति होगी:-

वर्तमान समय में कृषकों एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उपाहार क्षेत्रों व बलुई दोमट भूमि में धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें/अधिक पोषण देने वाली फसलोंजैसे-सांवा, कोदो, काकुन, ज्वार आदि को बढ़ावा दिया जाय। इससे कृषि लागत में कमी आयेगी एवं कृषकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिक उत्पादन वाली उन्नतशील नई प्रजातियों को विशेष बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए आवश्यक हो गया है कि बीज प्रतिस्थापन दर (एस.आर.आर.) के साथ-साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर (वी.आर.आर.) को भी प्राथमिकता दी जाय, जिससे नई प्रजातियों से प्रदेश निरन्तर आच्छादित होता रहे। संकर प्रजाति के बीजों विशेषकर धान, मक्का, बाजरा आदि के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। बाढ़ प्रभावित/जलमग्न क्षेत्रों में धान की स्वर्णा सब-1, सांभा सब-1, उन्नत सांभा महसूरी, बीना-11 आदि

प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीक का उपयोग करते हुए बिलम्ब से धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में 15 दिन अग्रिम रोपाई की रणनीति तैयार कर क्रियान्वितकी जाय। ड्रम सीडर/सीड ड्रिल से धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित किया जाय। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नत्रजनिक, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाय तथा जैव उर्वरकों यथा-राइजोबियम कल्चर, एजेटोवैक्टर, पी.एस.बी. व पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया के कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। भारत सरकार को आयातित एवं स्वयं उत्पादित उर्वरकों पर उनके मूल्य से 4-5 गुना अधिक अनुदान देना पड़ रहा है। इसलिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाय। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ-साथ हरी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी/नाडेप कम्पास्ट व सिटी कम्पोस्ट का भी प्रयोग कराया जाय। उन क्षेत्रों में जहॉ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं हेतु संस्तुत जल की मात्रा के अनुरूप सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गतबीज शोधन व रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ उठाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय। किसानों के शत प्रतिशत बीजों को उपचार करने के बाद ही बुवाई के लिए उत्प्रेरित किया जाय, ताकि बीज जनित रोगों से छुटकारा मिले एवं किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें।

16. सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। फसल बीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित कॉल सेन्टर-1800-889-6868का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य करते हुए उन्हे योजना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। दलहन एवं तिलहन (बुलन्देलखण्ड में तिल) की खेती पर विशेष जोर दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीकी के प्रदर्शनों का आयोजन कराया जाय। बीज शोधन, मृदा नमूना के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, आई.पी.एम., आई.पी.एन.एम., सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि के कौशल प्रदर्शन कराये जाय। खेती के साथ-साथ पशुधन का विशेष महत्व होता है, जहॉ एक ओर पशुधन से दूध तथा अन्य उपयोगी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते है वहीं पर पशुपालन से भारी मात्रा में गोबर जीवांश खाद के रूप में प्राप्त होता है, जो मृदा स्वास्थ्य का मूल आधार है। अतः पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन पर विशेष बल दिया जाय। कृषि वानिकी एवं औद्यानिक फसलों के रोपण का कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नर्सरी एवं पौधों की व्यवस्था की जाय। खरीफ में शाक-भाजी उत्पादन का विशेष महत्व है इसे भी बढ़ावा दिया जाय। किसान काल सेन्टर टोल फ्री नं0-1800-180-1551पर कृषि सम्बन्धी जानकारी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक कृषकों को कराने हेतु जागरूक किया जाय। किसान भाई इस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर बीहड़, ऊसर, बंजर, जलमग्न भूमियों को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाय तथा तालाबों का सुदृढ़ीकरण कराकर भूमिगत जल स्तर का सुधार किया जाय एवं इस योजना के अन्तर्गत सुधारी गयी भूमि को कृषि उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाय। विशेषकर बुन्दलेखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में जल संरक्षण कार्यक्रमों को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाय।

17. खरीफ उत्पादन लक्ष्यः-

प्रदेश के जनपदों हेतु खरीफ-2024 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। खरीफ-2024 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 241.08लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 3.45 लाख मीट्रिक टन कुल 244.57 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्षेत्रफल- 000 हे0
उत्पादन- 000 मी0 टन
उत्पादकता- कुं0/हे0

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2022-23की उपलब्धि			वर्ष 2023-24 की उपलब्धि			वर्ष 2024-25 के लक्ष्य		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0
1	धान (चावल)	6147.036	16450.931	26.76	6186.689	17417.806	28.15	6124.000	17791.000	29.05
2	मक्का	831.763	1782.307	21.43	839.474	1831.747	21.82	881.000	2216.490	25.16
3	बाजरा	947.023	2045.552	21.60	1009.857	2194.850	21.73	1061.000	2480.080	23.37
4	ज्वार	198.011	315.351	15.93	289.598	463.466	16.00	299.000	486.300	16.26
5	अन्य श्री अन्न	9.117	6.625	7.27	48.078	41.367	8.60	63.000	56.770	09.01
6	उर्द	558.155	280.245	5.02	710.623	442.177	6.22	757.000	508.750	06.72
7	मूंग	42.322	15.944	3.77	43.030	16.876	3.92	50.000	28.250	05.65
8	अरहर	349.483	427.858	12.24	349.483	427.858	12.24	368.000	540.540	14.69
कुल खाद्यान्न		**9082.910**	**21324.813**	**-**	**9476.832**	**22836.147**	**-**	**9603.000**	**24108.180**	**-**
9	तिल	360.770	84.107	2.33	401.794	119.329	2.97	425.000	141.730	03.33
10	मूंगफली	98.372	114.903	11.68	125.998	147.677	11.72	132.000	155.360	11.77
11	सोयाबीन	20.989	11.443	5.45	28.583	32.330	11.31	35.000	48.000	13.71
कुल तिलहन		**480.131**	**210.453**	**-**	**556.375**	**299.336**	**-**	**592.000**	**345.090**	**-**
12	**कपास**	**3.219**	**1.229**	**3.82**	**4.300**	**1.701**	**3.87**	**10.000**	**3.961**	**3.96**
कुल योग		**9566.260**	**21536.495**	**-**	**10037.507**	**23137.184**	**-**	**10205.000**	**24457.231**	**-**

जनपदवार, फसलवार लक्ष्य संलग्न किए जा रहे हैं। (संलग्नक-1)

18. कृषि निवेशों की आपूर्ति के लक्ष्य:- फसलों के उत्पादन में कृषि निवेशों की न केवल मात्रात्मक उपलब्धता बल्कि उनका सामयिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

क- **<u>प्रमाणित/संकर बीज</u>**: खरीफ, 2024 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण तथा व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:

क्र0 सं0	फसल	खरीफ 2023 की उपलब्धि (मात्रा कुं0 में)	खरीफ 2024 में लक्ष्य (मात्रा कुं0 में)	बीज प्रतिस्थापन की दर प्रतिशत में खरीफ 2024
1	धान	759481	759500	59
2	संकर धान	218776	229000	100
धान योग		978257	988500	-
3	मक्का	25327	25350	37
4	संकर मक्का	64033	67200	100
मक्का योग		89360	92550	-
5	ज्वार (श्री अन्न)	7335	7350	68
6	संकर ज्वार(श्री अन्न)	9617	9700	100
ज्वार योग		16952	17050	-
7	बाजरा(श्री अन्न)	8275	9100	33
8	संकर बाजरा(श्री अन्न)	25190	25300	100
बाजरा योग		33465	34400	-
9	कोंदो (श्री अन्न)	281	4081	100
10	सांवा (श्री अन्न)	632	3130	100
11	मंडुवा(रागी) (श्री अन्न)	422	1535	100
12	रामदाना (श्री अन्न)	-	-	-
13	तिल	3464	5200	33
14	मूंगफली	24828	30000	33
15	सोयाबीन	4374	4400	33
16	उर्द	36181	36200	35
17	मूंग	9404	9450	87
18	अरहर	18820	18850	42
19	कपास	-	-	-
20	जूट	-	-	-
योग		1216440	1245346	55

जनपदवार प्रमाणित एवं संकर बीजों के **लक्ष्य संलग्नक-2 एवं 3** पर दर्शाये गये है।

19. उर्वरकः-

असंतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा मृदा की उर्वरा क्षमता में कमी होती है । इसलिये पी0एम0 प्रणाम योजना के अन्तर्गत एकीकृत तत्व प्रबन्धन करते हुये फसलोंत्पादन में संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग तथा यूरिया, डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक यथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एन0पी0के0, यूरिया गोल्ड एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को बढावा दिया जाये । खरीफ, 2023 में 51.64 लाख मै0टन उर्वरकों की खपत के सापेक्ष खरीफ, 2024 हेतु 50.40 लाख मै0टन उर्वरकों की खपत के लक्ष्य निर्धारित किये गये है । जोकि विगत खरीफ की

खपत के सापेक्ष 2.40 % कम है । उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में फसलो के आच्छादन में बढोत्तरी या फसलो के बुवाई के पैटर्न में परिवर्तन होने के दृष्टिगत 6.62 लाख मै0टन उर्वरकों का खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक के रूप में जनपदों को आवंटित किया गया है।

(मात्रा लाख मी0टन)

क्र0 सं0	उर्वरक	खरीफ, 2023 की खपत	खरीफ, 2024 के लक्ष्य	लक्ष्य के अतिरिक्त रिजर्व स्टाक
1	यूरिया	37.49	35.13	2.87
2	डीएपी	9.05	7.17	1.88
3	एन0पी0के0	2.2	4.13	1.87
4	एम0ओ0पी0	0.37	0.47	0
5	एस0एस0पी0	2.53	3.5	0
	योग	**51.64**	**50.40**	**6.62**
1	नैनो तरल यूरिया (500 मिली/बोतल)	11.46 लाख बोतल	25.00 लाख बोतल	0
2	नैनो तरल डीएपी (500 मिली/बोतल)	4.67 लाख बोतल	12.00 लाख बोतल	0

जनपदवार उर्वरकों के वितरण के संस्थावार लक्ष्य संलग्नक-04 पर दर्शाये गये है।

20. जैव उर्वरक- खरीफ-2024-25 में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत 17.57 लाख जैव उर्वरकों के पैकेटों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

21. फसली ऋण:- खरीफ 2023 में रू0 50262.35 करोड़ का फसली ऋण कृषकों को प्रदान किया गया था, जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। खरीफ- 2024 में रू0 69872.56 करोड का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसली ऋण कृषकों को कृषि निवेशो को क्रय करने एवं फसल प्रबन्धन में सहायक है और इसका कृषि उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। खरीफ हेतु लक्षित फसली ऋणो की पूर्ति हेतु कृषि विभाग एवं बैकों के अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय तथा आपके दिशा-निर्देशन में अभियान चलाकर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति अपेक्षित होगी। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-05 पर दर्शाये गये है।**

22. किसान क्रेडिट कार्ड:- फसली ऋण वितरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की योजना वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2023-24 में मार्च, 2024 तक 63.80लाख क्रेडिट कार्ड का वितरण सहकारी एवं व्यवसायिक बैकों द्वारा किया गया। वर्ष 2024-25 में25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश के प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-06 पर दर्शाये गये है।**

23. कृषि रक्षा रसायनः- विगत खरीफ 2023 में 8584.12 मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कृषकों में कराया गया। खरीफ 2024 हेतु 10120.00 मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया हैः-

क्र0सं0	रसायन वर्ग	इकाई	खरीफ 2023 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2024 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)
1	कीटनाशक धूल/दानेदार	मी0टन	2993.26	3280.00
2	कीटनाशक तरल	कि0ली0	700.02	700.00
3	फफूँद नाशक	मी0टन/कि0ली0	799.00	800.00
4	तृणनाशक	मी0टन/कि0ली0	1838.44	2150.00
5	मूषनाशक/धूम्रक	मी0टन	77.06	90.00
6	वायोपेस्टीसाइड्स	मी0टन/कि0ली0	2176.34	3100.00
योग			**8584.12**	**10120.00**

जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य संलग्नक-07 पर दर्शाये गये है।

24. बायोपेस्टीसाइड्सः- फसलों पर कीटनाशी रसायनों के अवशेष तथा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि कीट/रोगों की रोकथाम हेतु रासायनिक उपचार केसापेक्ष जैविक रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय। खरीफ 2024 में वितरित किये जाने वाले बायोपेस्टीसाइड्स के लक्ष्य निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स का नाम	इकाई	खरीफ 2023 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2024 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)		
				कृषि 25%	अन्य संस्था 75%	योग
1	नीम आयल	कि0ली0	368.57	135.00	405.00	540.00
2	ट्राइकोडरमा	मी0टन	1148.98	381.15	1143.45	1524.00
3	ब्यूबेरिया बैसियाना	मी0टन	533.45	163.35	490.05	653.40
4	स्यूडोमोनास	मी0टन	100.73	80.00	240.00	320.00
5	मेटाराइजियम	मी0टन	13.44	5.85	17.55	23.40
6	वर्टीसीलियम	मी0टन	8.24	5.84	17.52	23.36
7	बी0टी0	मी0टन	2.77	3.75	11.25	15.00
8	एन0पी0वी0 (1000 एल0ई0=1 ली0)	कि.ली.	0.16	0.06	0.18	0.24
योग			**2176.34**	**775.00**	**2325.00**	**3100.00**

जनपदवार वितरण के लक्ष्य संलग्नक-8 पर दर्शाए गए हैं।

25. बायोएजेण्ट्सः- पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे परजीवी व परभक्षी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जो नाशीजीवों का विनाश करते है, जिससे कृषि लागत कम करके अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सकता है एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स का नाम	इकाई	खरीफ 2023 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2024 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)		
				कृषि	अन्य संस्था	योग
1	ट्राइकोग्रामा कार्ड	संख्या	8128	33000	99000	132000

26. कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारणी

खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुआई से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है जिसके लिए विस्तृत कार्य योजना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाय तथा प्रत्येक जनपद में विकास खण्ड व फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाय। कृषि निवेशों की आपूर्ति निम्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय:-

(1) बीज व कृषि रक्षा रसायन:-

क्र0 सं0	कृषि निवेश का नाम	जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की तिथि	बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराने की तिथि	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1	ढैंचा बीज	20 अप्रैल से 10 मई	24 अप्रैल से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
2	धान एवं मक्का बीज	01 मई से 25 मई	05 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
3	ज्वार/बाजरा/मूंगफली बीज	05 मई से 31 मई	15 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
4	सोयाबीन/उर्द/मूंग बीज	05 मई से 31 मई	30 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
5	अन्य खरीफ फसलें (बीज) कृषि रक्षा रसायन	05 मई से 31 मई 15 अप्रैल से 15 जून	30 मई से 05 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो

(2) **उर्वरकों की आपूर्ति हेतु समय सारणी:-**

भारत सरकार के स्तर से उर्वरकों का आवंटन माहवार आवश्यकता के सापेक्ष किया जाता है। आवंटन प्राप्ति होने के उपरान्त आपूर्ति व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जाय।

निम्न समय सारणी के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण:-

स्तर	उ0प्र0सह0संघ	उ0प्र0 एग्रो	गन्ना	कृषि विभाग
राज्य स्तर	निबंधक, सहकारी समितियॉ	प्रबंध निदेशक	गन्ना आयुक्त	कृषि निदेशक
मण्डल स्तर	उप निबंधक, सहकारी समितियां	क्षेत्रीय प्रबंधक	संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त	संयुक्त कृषि निदेशक
जनपद स्तर	सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ	जिला प्रंबंधक	जिला गन्ना अधिकारी	उ0कृ0नि0/जिला कृषि अधिकारी
विकास खण्ड	स0वि0अ0	प्रभारी बिक्री केन्द्र	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	व0प्रा0सहा0ग्रुप-बी

बिक्री केन्द्र	सचिव, सहकारी समितियॉ	-	सचिव, गन्ना समिति	प्रभारी बीज भण्डार

27- फसल सघनता में वृद्धिः-

फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। खरीफ में खाली पडे क्षेत्रों का कृषि में उपयोग एवं जायद में सिंचित क्षेत्रों में खेती को बढावा देने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैंः-

- प्रदेश में अभी भी काफी भूमि है विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहॉ खरीफ में कोई भी फसल नहीं ली जा रही है वहॉ प्रयास कर खरीफ क्षेत्राच्छादन को बढाया जाय।
- उपरहार क्षेत्र जहां सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ पर अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाय जिसके उपरान्त उसी खेत में तोरिया, उर्द आदि की फसल ली जा सके इससे उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसल सघनता में वृद्धि होगी।
- सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में जायद की फसल लेने हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाय, जिससे उपलब्ध जल की बचत के साथ ही अधिकाधिक क्षेत्र की सिचाई हो सके।

28. उत्पादकता में वृद्धिः-

कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता एवं नवीन तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। धान्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/आधारीय बीज तथा संकर बीजों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है, जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से9.14लाख कुं0उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज तथा 3.31लाख कुन्तल संकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि निर्यात क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती धान की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाय।

- **प्रदेश में विभिन्न फसलों की उपलब्ध प्रजातियों की क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादकता बहुत कम है। अतः उत्पादकता में अपेक्षित सुधार के लिये विशेष प्रयास करना होगा।**
- न्याय पंचायतों में कृषि निवेशों की उपलब्धता, विशेष रूप से उन्नत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के साथ-साथ कौशल प्रदर्शनों द्वारा उन्नत कृषि प्राविधिकी की जानकारी दी जाय। प्रशिक्षणो/तकनीकी जानकारी सत्रो में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
- प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वर्षा पर निर्भरता घटायी जाय। इसके लिए जिन क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई के साधन हैं वहॉ पर वर्षा के ठीक पूर्व पलेवा देकर बुवाई/रोपाई की जाय जिससे वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व फसलों का जमाव सुनिश्चित हो जाये तथा विगत वर्षो में अनुभव किए गये सूखे की यदि पुनरावृत्ति हो तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके।
- जनपद/क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों को विशेष अनुश्रवण के लिये न्याय पंचायतें आवन्टित की जाय और उनका मूल्यांकन किया जाय।

29. कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्थाः-

उन्नतशील प्रमाणित बीज

प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल धान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 61.87लाख हेक्टेयर है। विशेष रूप से धान की उत्पादकता वृद्धि पर विशेष बल दिया जाय। सिद्धान्तः ''बीज प्रतिस्थापन दर'' अर्थात प्रमाणित बीज की उपलब्धता द्वारा लगभग 20 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि संभावित रहती है, इसलिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान का ''बीज प्रतिस्थापन दर'' कालक्ष्य 59 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रजाति प्रतिस्थापन दर (VRR) जो कि उत्पादकता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आयाम है, उसे बढ़ाने के लिए धान्य व दलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों एवं तिलहनी फसलों के 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों को बढ़ावा देने हेतु 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त संकर प्रजातियों के वितरण का भी प्रस्ताव है। मुख्य रूप से संकर धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का के बीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। खरीफ 2024 में 2.29लाख कुन्टल संकर धान बीज वितरण का लक्ष्य है। इसी प्रकार संकर मक्का, ज्वार एवं बाजरा के बीजों की प्रचुर उपलब्धता होगी।। वर्तमान वर्ष में खरीफ की दलहनी फसल अरहर, उर्द एवं मूंग के भी प्रमाणित उन्नतशील बीज की प्रचुरता रहेगी। बीज शोधन के बाद दलहनी बीजों की बुवाई पर विशेष बल दिया जायेगा। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग व तिल की खेती को बढ़ावा दिया जाय। रोगों से बचाव के लिये बीज शोधन का कार्य विशेष रूप से कराया जाय। ऐसे कृषक जो स्वयं उत्पादित बीज प्रयोग करते हैं, उनको बीज शोधन हेतु प्रेरित करें। शत प्रतिशत बीज का शोधन के पश्चात ही बीजों का उपयोग किया जाय। गुणवत्तायुक्त बीज समस्त कृषकों को सुलभ हो इसके लिए ''बीज ग्राम योजना'' जिसमें बीज-कृषक स्तर पर तैयार किया जाता है, के कार्यक्रम में कृषकों की प्रतिभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित कराई जाए।

30. उर्वरकों का वितरणः-

उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रदेश के मासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिमाह फर्टीलाइजर मूवमेन्ट सप्लाई प्लान निर्गत करती है, जिसका जनपदवार/कंपनीवार विभाजन कर जनपदों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता मासिकलक्ष्योंके आधार पर की जाती है। अतः जनपदों में भी उपलब्धता की स्थिति मासिक लक्ष्य के सापेक्ष ही देखी जानी चाहिये। वर्तमान खरीफ में रबी 2024-25 हेतु भी यूरिया एवं फास्फेटिक (डी0ए0पी0+एन0 पी0के0) उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण (प्रीपोजीशनिंग) करने का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया है एवं यह आशा की जाती है कि जनपदों को खरीफ की आवश्यकता से अधिक यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक प्राप्त होगा।

यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का निर्धारित मूल्य पर वितरण हो। कालाबाजारी, इण्डस्ट्रीयल डायवर्जन, जमाखोरी तथा अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली तस्करी पर कठोरता से नियन्त्रण किया जाये। विगत वर्षों की भाँति आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती करते हुए उनकी देख-रेख में कृषकों को उनकी कृषित भूमि/फसल हेतु निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर ही करवाना सुनिश्चित करें।

एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु पावती(एकनालेजमेन्ट) की व्यवस्था के दृष्टिगत उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों के पावती

(एकनालेजमेन्ट) की व्यवस्था भौतिक रूप से स्टाक प्राप्त होते ही तत्समय की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ-साथ ही डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरकों का प्रेषण होता है वैसे ही आनलाईन प्रणाली को भी आद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमे विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

कृषकों के द्वारा लगभग 35-40 दिन की अवस्था पर दानेदार यूरिया की द्वितीय टाप ड्रेसिंग में दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो तरल यूरिया का स्प्रे मशीन द्वारा छिड़काव कराये जाने एवं डी0ए0पी0 के विकल्प के रुप में नैनोतरल डी0ए0पी0 के उपयोग हेतु कृषकों में जागरूकता हेतु जनपद, ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठियो में एवं किसान पाठशालाओं के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार कराया जाये।

31. कृषि रक्षा कार्यक्रमः-

कृषि उत्पादन में जहॉ एक ओर उन्नतशील बीजों, उर्वरकों का महत्व है वहीं फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा कार्यक्रमों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक रसायनों की तुलना में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का महत्व अधिक हो गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रेजिड्यू विषाक्तता नगण्य होती है। गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु खरीफ की फसलोंमें आई0पी0एम0 कार्यक्रमों की जागरूकतापर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। बीज शोधन एवं भूमि शोधन में भी बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है। प्रदेश की विभागीय आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स जैसे ट्राइकोडरमा, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0 तथा बायोएजेन्ट ट्राइकोकार्ड उत्पादित किये जा रहे है, जिनका विवरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ सामान्य वितरण आयोजित प्रदर्शनों आदि में भी किया जाता है। कृषकों को बायोपेस्टीसाइड्स के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न स्तरों की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।

32. कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु अनुदानः-

कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा फसल उत्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके उपयोग से धन एवं समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देनें के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइनेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना चलाई जा रही है, इसके साथ ही एम0एन0ओ0पी0, एन0एफ0एस0एम0 एवं कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत भी कृषि यंत्रों एवं कृषि सुरक्षा उपकरणों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। (कृषि यंत्रों के जनपदवार लक्ष्य **संलग्नक-10** पर दर्शाये गये हैं)।

(अ). सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाः-

1. एकल कृषि यंत्रो पर अनुदान-

ड्रम सीडर, स्ट्रारीपर, वीडर, पावर आपरेटेड स्प्रेयर, मल्टीक्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेवलर, रोटावेटर, पौटैटो प्लान्टर, पोटैटो डिगर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, कृषि ड्रोन, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, आयल मिल

विद फिल्टर प्रेस, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर इत्यादि पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघुसीमान्त एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 40 प्रतिशत तक यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना-

सबमिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी(कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), सहकारी समिति, पंचायत एवं कृषक उत्पादक संघ(एफ0पी0ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 10 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

3. हाइटेक हब फार कस्टम हायरिंग-

हाइटेक हब फार कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी (कृषक एवं युवा उद्यमी) एवं कृषक उत्पादक संघ(एफ0पी0ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है जिससे रू0 100 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 40 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

4. **फार्म मशीनरी बैंक-**

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) के लाभार्थी का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 10 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 8 लाख अनुदान देय है जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

ब. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजनाः-

1. कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना (एग्रीगेटर एवं कृषि उद्यमी हेतु)-

कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिये ग्रामीण उद्यमी(कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), सहकारी समिति, पंचायत एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओं0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। रू0 30 लाख तक की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर में 60 एच0पी0 से अधिक ट्रैक्टर एवं फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 24 लाख अनुदान देय है। जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कर सके।

2. फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्रों पर अनुदान-

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के इनसीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट हेतु उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैपी सीडर, सुपर सीडर, श्रेडर, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्राचापर/मल्चर, रोटरी स्लैशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरों टिल ड्रिल, बेलिंग मशीन, हे रेक, रीपर सेल्फ प्रोपेल्टड, रीपर कम बाईंडर, क्रय कर सके। योजनान्तर्गत कृषकों को इम्पैनेल्ड कंपनियों से यंत्र क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य सीमा दोनो मे से जो कम हो देय होगा।

33. प्रदेश में धान फसल की सीधी बुवाई को प्रोत्साहन-

इस हेतु ड्रम सीडर से धान की सीधी बुवाई की जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करने या रोपाई करने की आवश्यकता नही होती। धान के बीजों को भिगोकर जब उनमें अंकुरण होने लगे तब ड्रम सीडर में डालकर सीधी बुवाई की जाय, बुवाई के समय खेत में पानी न हो बल्कि सिर्फ कीचड़ होना चाहिए तथा बुवाई के 24 घंटे तक वारिश न हो अन्यथा बीज तैर जायेगें। नर्सरी तैयार करते समय बीज शोधन अवश्य किया जाय, जिससे बीजों को चिड़िया नहीं चुगेंगी। परम्परागत विधि से जहॉ एक हे0 धान की रोपाई के लिए 50 से 55 श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहीं इस विधि के द्वारा 1 श्रमिक 8 घंटे में 1 हे0 खेत की बुवाई कर सकता है। इस विधि के प्रयोग से धान की खेती की लागत में 65 से 67 प्रतिशत कमी पायी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रान्ति तथा सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत ड्रम सीडर पर अनुदान देय है। अधिकाधिक कृषकों को ड्रम सीडर क्रय करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

34. कटाई के बाद प्रबन्धनः-

खरीफ फसलों की कटाई के बाद का प्रबन्धन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योकि नमी अधिक होने की दशा में भण्डारित अनाज/बीज जल्दी खराब होता है। अतः भण्डारण से पहले और फसल कटाई के बाद की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाकर अनाज/बीज को सुरक्षित रखा जाय। माननीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेषो को जलाये जाने पर रोक लगाई गयी है। इस सन्दर्भ में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है, उनका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लघु/सीमान्त कृषको को विभिन्न फसलों की कटाई के लिए नये कटाई यंत्रो के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आर0के0वी0वाई0 से प्रदर्शनों/वितरण हेतु अलग से योजना भी बनायी जाय।

35. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खरीफ-2024s योजनान्तर्गत कार्यक्रमः-

इस योजना के विभिन्न घटकों को प्रदेश के जनपदों में निम्नानुसार संचालित किया जाना हैः-

घटक	चयनित जनपद
चावल घटक (21 जनपद)	अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती
दलहन घटक(समस्त 75 जनपद)	समस्त 75 जनपद
गेहूँ घटक (29 जनपद)	हाथरस, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती

कोर्स सीरियल्स (मक्का एवं जौ)	मक्का (13 जनपद)- बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फर्रूखाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा व ललितपुर जौ (19 जनपद)- बुलन्दशहर, ललितपुर, एटा, जालौन, अलीगढ, फिरोजाबाद, सोनभद्र, गाजीपुर, झांसी, महोवा, कानपुर नगर, आगरा, कानपुर देहात, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा, मिर्जापुर, बलिया तथा हमीरपुर
न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदों)	ज्वार-(05 जनपद)- बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। बाजरा (19 जनपद)- आगरा, अलीगढ, प्रयागराज, औरैया, बदायूँ, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ एवं सम्भल सांवा व कोदो (1 जनपद)- सोनभद्र
कामर्शियल क्राप(जूट, कपास व गन्ना)	जूट (5 जनपद)- सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच एवं श्रावस्ती कपास (4 जनपद)- आगरा, मथुरा, अलीगढ एवं हाथरस गन्ना (26 जनपद)- सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, महराजगंज एवं गोरखपुर।

36. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कार्यकलाप (चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स व कामर्शियल क्राप्स घटक):-

- उन्नतशील तकनीक आधारित क्लस्टर प्रदर्शनों का निःशुल्क आयोजन।
- फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों में आयोजित कृषक प्रशिक्षण का निःशुल्क आयोजन। प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 कृषक प्रतिभाग करेगें।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर वितरण रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के संकर बीज वितरण पर रू0 10000/- प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है।

- धान की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1000.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- मक्का, ज्वार, बाजरा की संकुल तथा जौ, कोदो एवं सांवा की उन्नतशील 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदो) की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 की प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन (सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक तथा बायोफर्टीलाइजर) एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (कृषि रक्षा रसायन व खरपतवारनाशी) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- सिंचाई हेतुपम्पसेट तथा पाईप के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- लोकल इनिशिएटिव मद के अन्तर्गत सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण हेतु न्यूनतम 10 कृषकों के समूह को रू0 170000/- छोटा गोदाम 56.25 वर्गमीटर का बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जो अधिकतम रू0 3.34 लाख देय होगा। मिनी दाल मिलरू0 40000/- /तिरपाल (छोटा एवं बड़ा) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य तथा बखारी 5.00 कु0 क्षमता पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू0 1500/- देय होगा।

37. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर(एन0एम0एस0ए0)- कृषि उत्पादकता को सतत् बनाना प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादकता को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रयोग को बढ़ावा देकर इस्तेमाल योग्य बनाए रखा जा सकता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तीन मुख्य घटक हैः-

अ- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट(आर0ए0डी0)-वित्तीय वर्ष 2023-24में योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 39 जनपदों में संचालित 61 भू0सं0 ईकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत एक कृषक परिवार को दो हेक्टेयर जोत सीमा तक सम्पूर्ण योजनाकाल में अधिकतम रू. 1.00 लाख का अनुदान देय है, जो कि विभिन्न कृषि प्रणाली यथा दुग्ध आधारित, बागवानी आधारित, पशुधन आधारित, कृषि वानिकी एवं मत्स्य आधारित और मूल्य सम्वर्धन के अन्तर्गत ग्रीन हाऊस, वर्मी कम्पोस्ट, साइलेज मेकिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कार्यो परअधिकतम50 प्रतिशत का अनुदान देय है। योजनान्तर्गत कृषकों

को कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 मेंरू0 6354.17 लाख की कार्य योजना के अन्तर्गत माह मार्च तक उपलब्ध धनराशि रू0 4326.69 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 4267.57 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें क्लस्टर आधार पर 8415हेक्टेयर क्षेत्रफल में 12558कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से भारत सरकार द्वाराजारी नयी गाईड लाइन के अनुसार प्रति कृषक को धनराशि रू0 30000.00 का अनुदानदेय होगा जिसमें प्रत्येक कृषक को फसलोंत्पादन, पौधरोपण तथा दुग्ध उत्पादन / पशुधन कार्यक्रम अनिवार्य किया गया है तथा इसके साथ-साथ मत्स्य पालन, मौन पालन, साइलेज एवं वर्मी कम्पोस्ट इन चार में से कोई दो अतिरिक्त कार्य भी करने होगे जिसके लिये भारत सरकार से धनराशि रू0 3100.00 लाख का एलोकेशन केन्द्रांश के रूप में निर्धारित हुआ है जिसमें राज्यांशको सम्मिलित करते हुए योजनान्तर्गत रू. 5166.67 लाख व्यय किया जा सकेगा ।

ब- परम्परागत कृषि विकास योजना एवं स्वच्छता एक्शन प्लान नमामिगंगे क्लीन अभियान-

वर्ष 2023-24 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 1785 क्लस्टर (35700 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2024-25 में पूर्व से संचालित 1240 क्लस्टर (24800 हे0 क्षेत्रफल) में कार्य किया जाना है। इसी प्रकार स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 4609 क्लस्टर (92180 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का कार्य संचालित किया गया है, वर्ष 2024-25 हेतु पूर्व से संचालित 4289 क्लस्टर (85780 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की योजनावधि 3 वर्ष है। भारत सरकार की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष धनराशि रू0 3.30 लाख, द्वितीय वर्ष में रू0 3.40 लाख एवं तृतीय वर्ष में रू0 3.30 लाख /-(तीन वर्षो हेतु कुल रू0 10.00 लाख) की सुविधा क्षमता विकास, फसल प्रबन्धन एवं सुरक्षा, जैविक प्रमाणीकरण, मूल्य सम्बर्धन तथा विपणन पर व्यय किया जाना है, जिसमें से 62 प्रतिशत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषको को वायोइनपुट प्रबन्धन एवं फसल सुरक्षा पर देय है। क्लस्टर में चयनित कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है।

स. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (स्वायल हेल्थ एवं फर्टीलिटी) कार्यक्रम-

वर्ष 2023-24 की उपलब्धि

योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में लक्षित 4.85 लाख मृदा नमूनों के सापेक्ष 4.85लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण पूर्ण कर विषलेश्णोंपरान्तकृषकों कोमृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरितकराने काकार्य क्रमिक है।

वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित लक्ष्य-

योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 8260 ग्राम पंचायतों से 8.26 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण, विश्लेषण कर कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश में 375ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की एग्रीजंक्शन/एफ0पी0ओ0पर स्थापना एवं 4 जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम-

वर्ष 2023-24 की प्रगतिः-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1052632 जैव उर्वरक पैकेट का वितरण किया गया।

वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित लक्ष्यः-

योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 17.57 लाख जैव उर्वरक पैकेट का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

38. मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजनाः-

योजना का मूल उद्देश्य फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करना एवं भूमि सुधार करना है। यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत कृषकों को जिप्सम पर 75 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसमें से 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय योजनाओं यथा-एन०एफ०एस०एम०, एन०एफ०एस०एम० (ऑयल सीड्स) एवं आर०के०वी०वाई० से तथा 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सेक्टर से अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत 18694.00 मै०टन जिप्सम की भौतिक पूर्ति की गयी है तथा कृषकों को डी०बी०टी० के माध्यमं से अनुदान के रूप में राज्य सेक्टर से धनराशि रू0 184.12 लाख तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से धनराशि रू0 308.81 लाख का भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत 27411.00 टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष राज्य सेक्टर से धनराशि रू0 284.05 लाख प्राविधानित है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में कृषकों को जिप्सम पर एट सोर्स अनुदान उपलबध कराने हेतु नवीन व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत कृषकों को पी०ओ०एस० मशीन से आधार अथेन्टीकेशन के पश्चात् जिप्सम के वितरण पर सब्सिडी एट सोर्स उपलब्ध करायी जायेगी।

39. प्रदेश में वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजनाः-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में वर्षा तथा जल संचयन हेतु 5550 लक्ष्य के सापेक्ष माह 31 मार्च 2024 तक 3370 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2024-25 में 8499 लघु खेत तालाब निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2024-25 में भी पूर्व की भाँति कृषकों को आनलाईन पंजीकरण द्वारा योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

40. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (AMDP) वर्ष 2024-25:-

कृषकों को मक्का की खेती से अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आच्छादन एवं उपज को अपेक्षित गति प्रदान करने हेतु प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्यक्रम संचालित किया जाना है। योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की सीमा तक विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों को नियमानुसार लाभान्वित करने हेतु चयन किया जायेगा। योजना में कुल निर्धारित लक्ष्यों में से लघु, सीमान्त तथा महिला कृषकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। लाभार्थी को अधिकतम् 02 हे० की सीमा तक ही अनुदान देय है।

उन्नत तकनीकी प्रदर्शन में देशी मक्का, संकर मक्का, पाप कॉर्न मक्का में रु02400 प्रति एकड़ व बेबी कॉर्न रु0 16000 प्रति एकड़, स्वीट कॉर्न रु0 20000 प्रति एकड़ अनुदान देय होगा। मक्का संकर बीज वितरण हेतु बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 15,000 प्रति कुन्तल, जो भी कम हो अनुदान देय होगा। कृषकों

को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु आत्मा योजनान्तर्गत निर्धारित नार्म्स के अनुसार कृषकों के समूह को 05 दिवसीय अध्ययन भ्रमण (यात्रा अवधि सहित) कराया जायेगा। इस हेतु रू0 1000/- प्रति मानव दिवस अनुमन्य होगा। मक्का फसल अन्तर्गत कटाई उपरान्त प्रबन्धन व मक्के की मड़ाई हेतु मेज सेलर/मेज थ्रेसर की अनुदान सहित व्यवस्था की गयी है। इस कार्यमद के अन्तर्गत मक्का की थ्रसिंग के लिए मक्का थ्रेसर/मेज सेलर मशीन पर विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 40,000 जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत 75 जनपदों में मक्का खेती अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु योजनान्तर्गत 6510 ग्राम पंचायतो में किसान गोष्ठी/पाठशाला का आयोजन होगा। इसके लिए विकास खण्ड में 01 गोष्ठी का आयोजन आवश्यकतानुसार खरीफ, रबी एवं जायद किसी भी मौसम में किया जायेगा। जिसमें प्रतिगोष्ठी रू0 15,000 का प्राविधान है। चयनित जनपदों में एक-एक गोष्ठी का आयोजन विकास खंड स्तर व जनपद स्तर पर भी किया जायेगा। योजनान्तर्गत समस्त हित धारकों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन राज्य स्तर पर किया जायेगा, जिसमें चयनित जनपदों के प्रसार कार्यकर्ता (अधिकारी / कर्मचारी), कृषक गण, बीज उत्पादक कम्पनिया, प्रसंस्करण कर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, नीति निर्धारक आदि प्रतिभाग करेगें।

41. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनाः-

वर्ष 2013-2014 से प्रदेश के समस्त जनपदों में सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की योजना संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। सिचाई व्यवस्था में विद्युत की सामयिक अनुपलब्धता, बाधाओं एवं डीजल चालित पम्प सेटो से पर्यावर्णीय परिवर्तन में कमी लाने के दृष्टिकोण से वैकल्पिक ऊर्जा के रूप मे सोलर पम्प को सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर पम्प की स्थापना से न केवल विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि ईधन इत्यादि के आवर्ती व्यय में भी कमी आयेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर उक्त योजनान्तर्गत 2 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर मूल्य का 60 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्पों पर 7.5 एच0पी0 पर अनुमन्य अनुदान कृषको को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 अन्तर्गत प्रदेश में 14500 कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष 19166 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के 54000 कुल 73166 विभिन्न क्षमता केसोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

42. पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि एवं मनरेगा योजनाः-

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना वर्ष 2023-24 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) संचालित की गयी है।

योजनान्तर्गत 43850 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 40260 हे0 समस्या ग्रस्त बीहड़/बंजर व जलभराव क्षेत्र का उपचार की प्रगति है। वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत 43850 हे0 समस्या ग्रस्त क्षेत्र अन्तर्गत बीहड़/बंजर 35600 हे0 व जल भराव वाले 8250 हे0 क्षेत्र का उपचार/वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है।

43. राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग कोप्रोत्साहित करने का कार्यक्रम वर्ष 2024-25

- योजनान्तर्गत जैव उर्वरक व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन के लागत मूल्य रू. 21/- प्रति पैकेट (200 ग्राम) का 75 प्रतिशत, अनुदान धनराशि रू. 15.75 प्रति पैकेट डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में प्रदान किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1052632जैव उर्वरक पैकेटों का वितरण किया गया है।
- वर्ष 2024-25 में जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजनान्तर्गत 17.57 लाख जैव उर्वरक पैकेट (राइजोबियम, एजोटोवैक्टर तथा पी0एस0बी0) का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

44. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)

कृषि प्रसार के लिए उप मिशन **(SMAE)** का उद्देश्य विद्यमान प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) स्कीम को सुदृढ़, विस्तृत एवं उच्चीकृत करना है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की एग्रीकल्चर टेक्नालोजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी (ATMA) की गर्वनिंग वोर्ड की त्रैमासिक बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाय।

सामान्य कार्यक्रमः-

- विकास खण्ड स्तर पर कृषि एवं सहयोगी विभागों के प्रदर्शनों का आयोजन।
- कृषक-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।
- कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागदारी बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर फार्म स्कूलों का आयोजन।
- कृषि से सम्बन्धित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान - प्रसार - कृषक - बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण।
- कृषक पुरस्कार

नवोन्मेषी कार्यक्रम -राज्य स्तरीय

- एग्री-क्लीनिक स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स के माध्यम से प्रसार-कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि-प्रसार-प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (मैनेज के माध्यम से)।

<u>अन्य नवोन्मेषी कार्यक्रम-राज्य कम्पोनेन्ट</u>

- कृषि तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित पब्लिीसिटी कार्यक्रम।
- एस0एम0ए0ई0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे- कृषक प्रशिक्षण, कृषक अध्ययन भ्रमण, मेला, कृषक-वैज्ञानिक संवाद, गोष्ठी आदि के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न फसलों पर विशेष बल देते हुए फसलों के उत्पादन तकनीकी , प्रसंस्करण, पैकैजिंग, मूल्य संवर्धन आदि विषयों पर कराया जाना प्रस्तावित है।
- कृषकों के हितार्थ नवोन्मेषी कार्यक्रम "द मिलियन फार्मर्स स्कूल"(किसान पाठशाला) एवं आई0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एन0आई0सी0 के माध्यम से आयोजित "वैज्ञानिकों की बात-किसानों के साथ"कार्यक्रम अन्तर्गत श्री अन्न वाली फसलों/मिलेट्स फसलों से संबन्धित समस्त विषयों को समाहित कर कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
- प्रदेश के 59000 ग्राम पंचायतों में "द मिलियन फार्मर्स स्कूल" (किसान पाठशाला)" , दलहन प्रधान विकासखण्डों में आयोजित किसान पाठशाला, तिलहन प्रधान विकासखण्डो में आयोजित किसान पाठशाला एवं मिलेट्स प्रधान विकासखण्डों एवं त्वरित मक्का विकास योजना (राज्य पोषित)अन्तर्गत आयोजित होने वाली गोष्ठी योजनाओं के कनवर्जन्स से ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफएवं रवी में गोष्ठियों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

45. एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल) योजनाः-

प्रदेश के चयनित जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना(एन0एफ0एस0एम0) योजना संचालित की जा रही है। शेष 54 अन्य जनपदों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम(चावल) योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 54 जनपदों यथा-
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड, हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा, संभल, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोण्डा, बाराबंकी, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, भदोही, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती तथा सिद्दार्थनगर में चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु उक्त योजना संचालित की जा रही है ताकि चयनित जनपदों के समस्त कृषकों को धान फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 54 जनपदों में चावल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों को फसल प्रदर्शन पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

46. नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) वर्ष 2024-25:-

योजना का नाम:- नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0)

योजना का संचालनः- प्रदेश की तिलहन संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही थी जो कि वर्ष 2018-19 से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही थी तथा वर्ष 2022-23 से उक्त योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत तिलहन कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तेल कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है:-

तिलहन कार्यक्रम

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एग्रोक्लाइमेटिक जोन के आधार पर तिलहनी फसलों का क्षेत्र विस्तार।
- प्रदेश की मांग के अनुरूप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- लघु एवं सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/महिला कृषकों को इन फसलों के माध्यम से अधिक आय दिलाना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।

कार्य क्षेत्रः-प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

वृक्ष जनित तेल कार्यक्रम

- बंजर भूमि, परती एवं अन्य अनुपयोगी भूमि का उपयोग कर तेल जनित वृक्षों तथा नीम व महुआ के वृक्षारोपण के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्य क्षेत्रः- झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट।

फण्डिंग पैटर्नः-60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्याश।

47. उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण नियंत्रणः-

खरीफ 2024 में कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में लगभग 94250 उर्वरक विक्रय केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त 78893 बीज तथा 61308 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक/बीज/कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध करानें का कार्यक्रम बनाया गया है। निरीक्षण के समय संदिग्ध उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूने अवश्य ग्रहित किये जाय। खरीफ-2024 में सघन छापे आयोजित कर उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूनें ग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनका वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 12000, 18000 तथा 7500 है इनकी जनपदवार कार्ययोजना बनाकर अभियान के रूप में बिक्री केन्दों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जाय। संदिग्ध उर्वरको/बीज/कृषि रक्षा रसायनों के नमूने ग्रहित कर विश्लेषणोपरान्त कृषि निवेश अमानक होने पर दोषी पक्ष के विरूद्ध सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-9 पर दर्शाए गए हैं।**

48. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>:

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है। योजना में निम्न जोखिमों को कवर किया गया है:-

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थिति के कारण फसल की बुवाई ना कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति,

(ii) खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुश्क स्थिति, बाढ़, ओला, भू-

स्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों- रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति,

(**iii**) फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति,

(**iv**) खड़ी फसलों कोओला-वृष्टि**,** जल-भराव (फसल धान को छोड़कर)**,** भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति**,**

(**v**) फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओला-वृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा व चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

<u>सम्मिलित कृषक:</u>

योजना ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। ऋणी किसानों हेतु योजना Opt-out mode पर लागू है। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर के 07 दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिवार्य रूप से कवर नहीं होगा**,** अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए गए फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कम्पनी अथवा भारत सरकार के ऑन-लाइन पोर्टल-**www.pmfby.gov.in** के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

<u>बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान</u>:

कृषकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ में फसल धान**,** ज्वार**,** बाजरा**,** मक्का**,** उर्द**,** मूंग**,** अरहर**,** मूंगफली**,** सोयाबीन व तिल तथा रबी में गेहूँ**,** जौ**,** चना**,** मटर**,** मसूर**,** लाही-सरसों**,** अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम दर को खरीफ में बीमित राशि से 02 प्रतिशत तथा रबी में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ/रबी की वार्षिक नकदी फसल हेतु बीमित राशि के 05 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है।कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिये 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढ़ी हुई सम्मूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथियॉं:

खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर तक बीमा कराया जा सकता है।

फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति का भुगतान:

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसलों पर सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप कृषकों को बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय होती है।

उपरोक्त स्थितियों में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जल-भराव (फसल धान को छोड़कर) भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में व फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में सुखाई हेतु रखी कटी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन स्थितियों में प्रभावित कृषकों को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं, अपने बैंक शाखा अथवा जनपद के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनियों को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

फसल की मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक उपज में क्षति की स्थिति में कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक आंशिक क्षतिपूर्ति तात्कालिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तात्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

जिन ग्राम पंचायतों/फसलों में संभावित उपज में पचास प्रतिशत से अधिक कमी की संभावना हो, उनकी सूची जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हेतु बीमा कंपनियों को दिया जाना आवश्यक है। जनपद स्तर पर गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा निर्धारित अवधि में नियमानुसार सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट बीमा कंपनी एवं कृषि निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिकृत बीमा कम्पनियॉं:-

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कम्पनियों-एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (18 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (10 जनपद), इफ्को

टोक्यो जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (20 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0(08 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (19 जनपद), कुल 75 जनपद को अधिकृत किया गया है।

<u>पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:</u>

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों-कम व अधिक तापमान, कम व अधिक वर्षा, तेज हवा, आर्द्रता से फसल नष्ट होने की संभावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	मौसम	फसल का नाम	चयनित जनपदों के नाम
1	खरीफ	केला	बरेली, शाहजहाँपुर, बिजनौर, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच एवं श्रावस्ती (31 जनपद)
2	खरीफ	मिर्च	मेरठ, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर (22 जनपद)
3	खरीफ	पान	उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई व लखनऊ (07 जनपद)
4	रबी	टमाटर	सहारनपुर, शामली, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, अलीगढ़, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहाँपुर, सम्भल, कन्नौज, कानपुर नगर, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपुर (28 जनपद)
5	रबी	शिमला मिर्च	फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखनऊ, बाराबंकी (08 जनपद)
6	रबी	हरी मटर	एटा, कासंगज, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर,

			बलिया, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराईच (19 जनपद)
7	रबी	आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती (20 जनपद)

वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के खरीफ मौसम में फसल केला, मिर्च व पान तथा रबी मौसम में टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मटर व आम को बीमित किया गया है।

- **फसलों की क्षति का आंकलन**- जनपद के चयनित ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर क्षति का आंकलन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिस पर तापमान, वर्षा, आर्दता आदि के प्रतिदिन के आंकड़े एकत्रित होते हैं। आंकड़ों में विचलन के आधार पर फसलवार बनाई गई टर्म-शीट के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है।
- **बीमा की इकाई- योजना में बीमित फसलों की क्षति का आंकलन ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लाक में 2 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित कराये गये हैं।**
- **सम्मिलित कृषक**- योजना को सभी कृषकों हेतु स्वैछिक आधार पर लागू किया गया है। बीमा न कराने की स्थिति में ऋणी किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जाएगा।
- **बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान**- जनपद में फसल की उत्पादन लागत के बराबर बीमित राशि निर्धारित की गयी है। कृषक द्वारा औद्यानिकी फसलों हेतु बीमित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम दर को वहन किये जाने का प्राविधान है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर से अधिक प्रीमियम दर की समस्त धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।
- **फसलवार बीमा कराने की अन्तिम तिथि**:-

  केला- 30 जून, मिर्च-31 जुलाई, पान-30 जून, टमाटर-30 नवम्बर, शिमला मिर्च-30 नवम्बर, हरी मटर-30 नवम्बर, आम-15 दिसम्बर।

  अधिकृत बीमा कंपनिया- वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ एवं रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 बीमा कंपनियों- एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (16 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो

जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (05 जनपद), इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्यारेंस कम्पनी लि0 (17 जनपद), एस0बी0आई0-जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0(06 जनपद), यूनिवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 (16 जनपद) कुल 60 जनपद को अधिकृत किया गया है।

49. मण्डल स्तरीय गोष्ठियॉ-

मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस गोष्ठी में कृषि एवं संबन्धित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी (परियोजना निदेशक) को आमंत्रित किया जाय। इन प्रशिक्षणों के आयोजन की पूरी व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी।

50.जनपदीय गोष्ठियॉ

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के विकास कार्यो से सम्बन्धित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड के आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाय।

51.विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉः-

जनपदीय गोष्ठियों में ही विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की तिथियॉ निश्चित कर दी जाय। विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों की आपस में दो-दो टोलियॉ बनाकर उनको विकास खण्ड आवंटित कर दिये जाय। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता परगनाधिकारी/ प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाय तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील कृषकों को भी आंमत्रित किया जाय।

52. किसानो को अधिकाधिक रूप से फसलोत्पादन से सम्बन्धित जानकारियों आदि की वीडियो क्लीपिंग तैयार कराकर प्रदर्शित करायी जाय तथा सोशल मीडिया संसाधनों यथा ह्वाट्सऐप, जूम ऐप तथा गूगल मीट ऐप आदि का प्रयोग करते हुए कृषको को जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि मीडिया माध्यमों से जानकारियॉ किसानों को दी जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम सभा वार प्रगतिशील किसानों के सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उन्हें नियमित रूप से सामयिक कृषि कार्यों विषयक जानकारियॉ दी जाय तथा ग्राम सभा के अन्य प्रगतिशील किसानों को अधिकाधिक संख्या में ह्वाट्सऐप ग्रुप बनाकर इन जानकारियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

53. यह रणनीति सामान्य मानसून हेतु तैयार की गयी है। मानसून में अप्रत्याशित बदलाव परिलक्षित होने पर अथवा आंशका होने पर तत्काल स्थानीय स्तर पर आप वहां की भूमि, जलवायुविक परिस्थितियों के अनूकूल आकस्मिक योजना तैयार करते हुए शासन को कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि योग्य समस्त भूमि पर अनिवार्य रूप से फसलें आच्छादित हों।

54. सिंचाई जल प्रबन्धनः-

फसलोत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा कि समय पर पर्याप्त सिचाई जल उपलब्ध हो। इस हेतु आवश्यक होगा किः-

1. नहरों व उनकी अल्पिकाओं के टेल तक पानी समय से पहुंचे।
2. नलकूप निरन्तर क्रियाशील रहें।
3. निजी नलकूपों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहे।

अतः आपसे अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नहरों की सफाई समय से पूर्व हो जाय, रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो तथा नलकूपों को समय से ठीक करा लिया जाय।

55. खरीफ-24 के लिये महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नवत् होंगे:-

(i) धान का उत्पादन 3.73 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है एवं क्षेत्राच्छादन में 0.63 लाख हे0 की कमी का लक्ष्य है।

(ii) बाजरे का क्षेत्र आच्छादन 51143 हे0 तथा उत्पादन 2.85 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है।

(iii) मक्का क्षेत्र के आच्छादन में 41526 हे0 तथा उत्पादन में 3.85 लाख मीट्रिक टन वृद्धि की जानी है।

(iv) अन्य श्रीअन्न क्षेत्र आच्छादन में 14922 हे0 एवं उत्पादन में 0.15 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(v) दलहन के क्षेत्र आच्छादन में 71864 हे0 तथा उत्पादन में 1.91 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(vi) तिलहनी फसलों के क्षेत्र आच्छादन में 35625 हे0 एवं उत्पादन में 0.46 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

यानि कि क्षेत्र आच्छादन में कुल 1.67 लाख हे0 की वृद्धि की जानी है एवं उत्पादन में 13.20 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति निम्नवत होगी:-

(i) असमतल भूमि आधी खेती है-खेत का समतलीकरण न सिर्फ उत्पादन लागत 7.0 प्रतिशत कम करता है, बल्कि सिंचाई के पानी एवं उर्वरक की उपयोग क्षमता में भी वृद्धि करता है। उक्त सोच के अन्तर्गत फार्म मेक्नाईजेशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लेज़र लैण्ड लेवलर कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र अच्छादन व उत्पादन बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड के जनपदों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कार्य किया जाएगा।

(iii) सीड रिप्लेसमेंट रेट के लिए विगत वर्ष 1.22 लाख मीट्रिक टन उन्नत बीज का वितरण किया गया था वह इस वर्ष 1.25 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा।

(iv) बायो फर्टिलाईजर के 17.57 लाख पैकेट वितरित किये जायेंगे।

(v) विगत वर्षक्रॉप लोन 50262.35 करोड़ वितरित किया गया था जिसके सापेक्ष इस वर्ष खरीफ में 69872.80 करोड़ क्रॉपलोन वितरित किया जाएगा। इसमें 19610.45 करोड़ यानि कि 39 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

(vi) विगत वर्ष 2023-24 खरीफ में 8584.12 मीट्रिक टन/किलो लीटर कृषि रक्षा रसायन तथा बायोपेस्टीसाइड्स उपलब्ध कराया गया था। खरीफ 2024 में 10120.00 मीट्रिक टन/किलोलीटर कृषि रक्षा रसायन तथा बायोपेस्टीसाइड्स उपलब्ध कराया जायेगा वर्तमान में प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप कृषकों की लागत कम करने, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण व रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को कम करने हेतु इस वर्ष बायोपेस्टीसाइड्स को विगत वर्ष से 42 प्रतिशत अधिक उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) कुल 73166 कृषकों को सोलर पम्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में प्रगतिशील कृषकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के दल को उन प्रदेशों में प्रशिक्षण/भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गई है।

(ix) सिंचाई में वाटर यूज़ इफीशिएन्शी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

(x) उर्वरक एवं पेस्टिसाइड आदि की यूज़ इफीशिएन्शी को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी व उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रचलन बढ़ाया जाएगा।

(xi) फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष पर जोर देते हुए क्लस्टर एप्रोच पर कार्य किया जाएगा।

(xii) फसल प्रणाली केन्द्रित हस्तक्षेप को बढ़ाया जाएगा।

(xiii) मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए ढैंचा का प्रयोग एवं समुचित क्रॉप रेजिड्यु मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कृषि उपकरण व बायोएजेन्ट्स को पर्याप्त संख्या व मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiv) कृषि कार्यों में ड्रोन आधारित तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

56. क्रियान्वयन एवं अनुश्रवणः-

खरीफ-2024 में मुख्य फसलों-धान, मक्का, उर्द, मूंगफली एवं तिल के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता संबन्धी लक्ष्य विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारियों से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच निर्धारित करते हुए कृषि निदेशालय द्वारा समुचित निर्देश निर्गत किये जाएंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक कर्मी व अधिकारी के वार्षिक कार्य के अप्रैजल में इन लक्ष्यों के प्राप्ति को अंकित/उल्लिखित किया जाएगा। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कुशल निर्देशन में कृषि उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित सेक्टर्स में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर खरीफ 2024 को पूर्णतः सफल बनाएगें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-55/2024/537(1)/2024/12-2099/90/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उ0प्र0कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ।
6- कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज, फैजाबाद ।
7- कुलपति,सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
10- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रेहमानखेड़ा, लखनऊ।
11. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड0कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
24. मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
25. महा निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
26. प्रबंन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
27. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
30. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
31. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण, छलेसर, आगरा।
32. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगन्ध पौध अनुसंधान संस्थान।

33. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
34. निदेशक, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
35. निदेशक,गन्ना विकास निदेशालय, सीजीओ काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
36. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
37. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
38. प्रबंध निदेशक, यू0पी को-आपरेटिव फेडेरेशन लि0, लखनऊ।
39. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
40. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
42. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
43. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
44. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
45. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
46. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सिंह

उप सचिव।